

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0 )  
वाद सं0 : 174 सन 2018

अनवान :-

1. बृजलाल पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
  2. रामनिवास पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
- वादीगण

बनाम

1. हसंराज पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. चेताराम पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. शंकर पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. कृष्णलाल पुत्र श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. सुखलाल पुत्र श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. गीता पुत्री श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. गोरा पत्नी श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. रामी पत्नी ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. कैलाश पुत्र स्व ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. बाला पुत्री ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. मांगेराम पुत्र ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. मुकेश पुत्र स्व सिलोचना पुत्री ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. धापा पत्नी भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. देवीलाल पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. दलीप पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. राजेन्द्र पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. बलवन्त पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
18. पवन पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
19. विमला पुत्री भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
20. प्रमेश्वरी पुत्री हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
21. सन्तो पुत्री हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
22. गुडडी पुत्री हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
23. रणजीत पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
24. अमरसिंह पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
25. रामप्रताप पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
26. सुमित्रा पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
27. गिरदावरी पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
28. लिलावती पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
29. सन्तो पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
30. इन्द्रो पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।



प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1988 धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 28/10/2024

21 उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 77 की 3.16 बीघा , साबिका खसरा न0 78 की 154.15 बीघा खसरा न0 101 की 67.07 बीघा साबिका खसरा न0 112 की 61.10 बीघा कुल 298.10 बीघा भूमि थी जिसके रामनिवास पुत्र धन्नाराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी बडबिराना सम्वत 2011 से कब्जा काश्त की नोटोड करदा भूमि थी।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 206 की साबिका खसरा न0 77 की 3.16 बीघा , साबिका खसरा न0 78 की 154.15 बीघा खसरा न0 101 की 67.07 बीघा साबिका खसरा न0 112 की 61.10 बीघा कुल 298.10 बीघा भूमि थी जिसके भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वरवक्त पैमाईश हाल खसरा न0 233 की 5.9820हैक् खसरा न0 234 की 5.880हैक् खसरा न0 301 की 8.500हैक् खसरा न0 333 की 17.0090हैक् खसरा न0 398 की 1.0500हैक् कुल 38.5210हैक् भूमि में परिवर्तन पैमुद की गई थी

रोही मौजा बडबिराना के कुल 38.5210हैक् भूमि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा हीरा पि0मु0 मामचन्द के नाम से 107.06 बीघा व बिरबल पुत्र हीराराम के नाम 45.00 बीघा दर्ज कर दी जबकि मामचन्द पुत्र धन्ना , रामकिशन का भाई था जो कि लावल्द फोट हो चुका है एव हीराराम रामकिशन का एक मात्र पुत्र था हीराराम के आठ पुत्र एव तीन पुत्रीया थी परन्तु भु0 प्रबन्ध विभाग द्वारा 107.06 बीघा हीराराम पि0मु0 मामचन्द एव हीराराम बिरबल पि0 हीराराम के ना 45.00 दर्ज कर दी जबकि भू0प्रबन्ध विभाग को केवल मात्र पूर्व प्रविष्टियों को रिपिट करना था ना कि जमाबन्दी में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार था एव केवल मात्र असरा परिशोधन के आधार पर प्रविष्टिया दर्ज करने का अधिकार नहीं था।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/419 की कुल 38.5210हैक् भूमि सम्वत 2012 में रामकिशन पुत्र धना के कब्जा काश्त की भूमि थी एव रामकिशन पुत्र धना के फोटदगी के वाद उसके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागू होने कि दिनांक 15.10.1955 से भूमि कब्जा काश्त में है जिसे वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है यानि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/419 की 38.5210हैक् भूमि गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/419 की कुल 38.5210हैक् भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज प्रविष्टिया को दुररूत करवा पाने के अधिकारी है वादीगण प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है ताकि जिस अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है उसी अनुसार वाद भूमि बंटवारा कर लिया वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 23 ता 30 के पास खसरा न0 301 की 5.06हैक् उत्तरादा पासा व खसरा न0 234 की 2.1505हैक् कुल 7.2150हैक् बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे एव खसरा न0 233 की 5.9820हैक् व खसरा न0 234/1 की 3.7295हैक् खसरा न0 301/1 की 3.5400हैक् खसरा न0 333 की 17.0090हैक् खसरा न0 389 की 1.0500हैक् कुल 31.3105हैक् भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 बहिब 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 13 ता 19 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 बहिब 3/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त में होने के कारण वादीगण के पूर्वज वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिये वादीगण एव प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा व बाहमी बटवारा के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गये है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/419 की कुल 38.5210हैक् भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 23 ता 30 के

अ  
अपखण्ड अधिकारी  
मोहर

पास खसरा न0 301 की 5.06हैक् उतरादा पासा व खसरा न0 234 की 2.1505हैक् कुल 7.2150हैक् बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे एव खसरा न0 233 की 5.9820हैक् व खसरा न0 234/1 की 3.7295हैक् खसरा न0 301/1 की 3.5400हैक् खसरा न0 333 की 17.0090हैक् खसरा न0 389 की 1.0500हैक् कुल 31.3105हैक् भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 बहिब 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 13 ता 19 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 बहिब 3/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 30 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर फर्द अहकाम पर तस्दीक के हस्ताक्षर किये गये।


प्रतिवादी संख्या 31 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/419 की कुल 38.5210हैक् भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एव एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 77 की 3.16 बीधा , साबिका खसरा न0 78 की 154.15 बीधा खसरा न0 101 की 67.07 बीधा साबिका खसरा न0 112 की 61.10 बीधा कुल 298.10 बीधा भूमि थी जिसके रामनिवास पुत्र धन्नाराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी बडबिराना सम्वत 2011 से कब्जा काश्त की नोतोड करदा भूमि थी।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 206 की साबिका खसरा न0 77 की 3.16 बीधा , साबिका खसरा न0 78 की 154.15 बीधा खसरा न0 101 की 67.07 बीधा साबिका खसरा न0 112 की 61.10 बीधा कुल 298.10 बीधा भूमि थी जिसके भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वरवक्त पैमाईश हाल खसरा न0 233 की 5.9820हैक् खसरा न0 234 की 5.880हैक् खसरा न0 301 की 8.500हैक् खसरा न0 333 की 17.0090हैक् खसरा न0 398 की 1.0500हैक् कुल 38.5210हैक् भूमि में परिवर्तन पैमुद की गई थी

रोही मौजा बडबिराना के कुल 38.5210हैक् भूमि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा हीरा पि0मु0 मामचन्द के नाम से 107.06 बीधा व बिरबल पुत्र हीराराम के नाम 45.00 बीधा दर्ज कर दी जबकि मामचन्द पुत्र धन्ना , रामकिशन का भाई था जो कि लावल्द फोत हो चुका है एव हीराराम रामकिशन का एक मात्र पुत्र था हीराराम के आठ पुत्र एव तीन पुत्रीया थी परन्तु भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा 107.06 बीधा हीराराम पि0मु0 मामचन्द एव हीराराम बिरबल पि0 हीराराम के ना 45.00 दर्ज कर दी जबकि भू0प्रबन्ध विभाग को केवल मात्र पूर्व प्रविष्ठियों को रिपिट करना था ना कि जमाबन्दी में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार था एव केवल मात्र असरा परिशोधन के आधार पर प्रविष्ठिया दर्ज करने का अधिकार नहीं था।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/419 की कुल 38.5210हैक् भूमि सम्वत 2012 में रामकिशन पुत्र धना के कब्जा काश्त की भूमि थी एव रामकिशन पुत्र धना के फोतदगी के वाद उसके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागू होने कि दिनांक 15.10.1955 से भूमि कब्जा काश्त में है जिसे वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है यानि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/419 की 38.5210हैक् भूमि गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये।

  
अपरखण्ड अधिका३  
नोट

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वर्तमान में रोही मौजा बडबिराना उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एव एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या 206 के साबिका खसरा न0 77 की 3.16 बीघा , खसरा न0 78 की 154 बीघा 15 खसरा न0 101 की 67.07 बीघा साबिका खसरा न0 112 की 61 बीघा 10 बिश्वा कुल 298 बीघा 10 बिश्वा भूमि वादीगण के पूर्वज रामनिवास पुत्र. धन्नाराम के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत ,2012 से 2015 2016 से 2019 ,2020 से लगातार एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है कि वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों के सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि थी उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

भू-प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 206 की कुल 298.10 बीघा भूमि को हाल खसरा न0 233 की 5.9820हैक् , खसरा न0 234 /5.8800हैक् खसरा न0 301 की 8.500हैक् खसरा न0 333 की 17.0090हैक् खसरा न0 398 की 1.0500हैक् कुल 38.5210हैक् भूमि में परिवर्तन कर पैमुद की गई थी जो सर्वे खसरा से पूर्णतया साबित है तथा बीघा को हैक्टयर में परिवर्तन करने के उपरान्त वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 30 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है जिसके सम्बन्ध में पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया है।

वादीगण के पूर्वज रामनिवास का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 30 है जिसके सम्बन्ध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नहीं किया गया है तथा रामनिवास के वारिसान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज भी प्रस्तुत नहीं हुआ है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 206 के साबिका खसरो की कुल 298.10 बीघा भूमि सम्वत 2012 से लगातार आदिनांक तक पहले वादीगण के पूर्वज रामनिवास पुत्र धना के कब्जा काश्त में रही तथा अब वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 30 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों गिरदावारीयों सम्वत, 2012 से 2015 ,2016 से 2019 2024 से 2027 ,2029 से 2038 , तथा आगामी लगातार जमाबन्दी/गिरदावरियों से पूर्णतया साबित है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादीगण के पूर्वज रामनिवासी पुत्र धना के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त में थी अर्थात् सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावारीयों से साबित है।

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नहीं किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान में रोही मौजा बडबिराना उपनिवेशन क्षेत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादीगण के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित एवं सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारों के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू हैं। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment.”

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व ( कृषि प्रयोजन के लिये

भूमि का आवंटन ) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवंटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आवंटियों को अस्थाई खेती पट्टा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

वादीगण के पिता रामनिवास पुत्र धना जाति जांगिड ब्राह्मण साकिन बडबिराना ( जो सामान्य वर्ग जाति का सदस्य है ) को रोही मौजा बडबिराना के साबिका खाता संख्या 206 के खसरो की भूमि जो हाल खसरा न0 233, 234, 301, 333, 398, की कुल 38.5210हैव भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात् सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी / गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादीगण के पूर्वज रामनिवास पुत्र धना के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है अर्थात् वादीगण के पूर्वज के रामनिवास पुत्र धना के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त में होने के कारण वादीगण के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नहीं करने से वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं बल्की वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये

उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की जमाबन्दीयो/ गिरदावारीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादीगण के पूर्वज रामनिवास पुत्र धना जाति ब्राह्मण के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/ अधिसूचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण एव प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाना चाहते है।


उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादीगण के पूर्वज रामनिवास पुत्र धना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है वादीगण के पूर्वज रामनिवास पुत्र धना का देहानत हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 30 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में

अखण्ड अधिकारी  
बोहर

बतौर गैरखातेदार के रूप में दर्ज है तथा वाद भूमि कब्जा काश्त में है जो फर्द मौका से पूर्णतया साबित है अर्थात् वादीगण वाद भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 ता 19 के ताबे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादीगण राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचनाओं के परिपेक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/416 की कुल 38.5210हैक् भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/- प्रतिबीघा का 20 प्रतिशत 800/-प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त राशि जमा होने के उपरान्त वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 23 ता 30 खसरा न0 301 की 5.060हैक् उतरादा पासा व खसरा न0 234 की 2.1505हैक् कुल 7.2150हैक् बहिब के एव खसरा न0 233 की 5.9820हैक् व खसरा न0 234/1 की 3.7295हैक् खसरा न0 301/1 की 3.5400हैक् खसरा न0 333 की 17.0090हैक् खसरा न0 389 की 1.0500हैक् कुल 31.3105हैक् भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 3/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 ता 19 बहिब 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 बहिब 3/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक १८/१०/२०२५ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- पंकज गढवाल ( आर.ए.एस.)

अनवान :-

1. बृजलाल पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
  2. रामनिवास पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
- वादीगण

#### बनाम

1. हसंराज पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. चेताराम पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. शंकर पुत्र हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. कृष्णलाल पुत्र श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. सुखलाल पुत्र श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. गीता पुत्री श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. गोरा पत्नी श्योकरण जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. रामी पत्नी ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. कैलाश पुत्र स्व ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. बाला पुत्री ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. मांगेराम पुत्र ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. मुकेश पुत्र स्व सिलोचना पुत्री ईशरराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. धापा पत्नी भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. देवीलाल पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. दलीप पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. राजेन्द्र पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. बलवन्त पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
18. पवन पुत्र भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
19. विमला पुत्री भागमल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
20. प्रमेश्वरी पुत्री हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
21. सन्तो पुत्री हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
22. गुडडी पुत्री हीराराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
23. रणजीत पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
24. अमरसिंह पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
25. रामप्रताप पुत्र बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
26. सुमित्रा पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
27. गिरदावरी पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
28. लिलावती पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
29. सन्तो पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
30. इन्द्रो पुत्री बिरबलराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 174 सन 2018 निर्णय दिनांक - 28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/416 की कुल 38.5210 हैक् भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/- प्रतिबीघा का 20 प्रतिशत 800/- प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त राशि जमा होने के उपरान्त वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 23 ता 30 खसरा न0 301 की 5.060 हैक् उतरादा पासा व खसरा न0 234 की 2.1505 हैक् कुल 7.2150 हैक् बहिब के एव खसरा न0 233 की 5.9820 हैक् व खसरा न0 234/1 की 3.7295 हैक् खसरा न0 301/1 की 3.5400 हैक् खसरा न0 333 की 17.0090 हैक् खसरा न0 389 की 1.0500 हैक् कुल 31.3105 हैक् भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 3/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 बहिब 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 ता 19 बहिब 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 बहिब 3/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )